हरिंदर सिंह सिद्धू जे के समक्ष

जी. बी. ए. कर्मचारी संघ-याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन और एक और -प्रतिवादी

2021 का सीडब्ल्यूपी No.5966

15 मार्च, 2022

भारत का संविधान, 1950-Art.226-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-Ss.25-N (1) (b), 25-N (4), 25-O (3) और 25-M (3)-पंजीकृत मान्यता प्राप्त संघ द्वारा इस आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दायर धारा 25N (1) (b) के तहत आवेदन पर, जो होजरी और बुनाई की सुइयों के निर्माण में लगी हुई है, अपने 37 श्रमिकों को छंटनी करने की अनुमति मांग रही है-दाखिल करने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर दी गई अनुमति-छंटनी के लिए आधार-कोरोना वायरस के कारण-उत्पादों की मांग में कमी-कंपनी ने कार्य बल में आनुपातिक कमी के साथ उत्पादन को कम करने का फैसला किया-'अंतिम आओ पहले जाओ ' के सिद्धांत के रूप में सचिव श्रम को विफलता रिपोर्ट भेजी गई, जिन्होंने छंटनी के संबंध में नोटिस की प्राप्ति के बारे में याचिकाकर्ता-संघ को दिनांक 22.01.2021 को एक पत्र भेजा - 25.01.2021 को सुनवाई/पूछताछ की तारीख तय की गई - 01.03.2021 को, विवादित आदेश पारित किया गया- माना गया, यदि छंटनी के लिए आवेदन के 60 दिनों के भीतर निर्णय की सूचना नहीं दी जाती है, तो अनुमति दी गई मानी जाएगी - विवादित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाई गई - याचिका खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त सभी मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खंड 25-एन (4), धारा 25-ओ (3) और 25-एम (3) पर विचार करते हुए, जो प्रासंगिक डीमिंग प्रावधान हैं, यह अभिनिर्धारित किया है कि मांगी गई अनुमति दी गई मानी जाएगी, यदि निर्णय उल्लिखित अवधि के भीतर सूचित नहीं किया गया है। इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि "डीमिंग प्रावधान" का अस्तित्व यह निर्णय लेने में एक आवश्यक तत्व था कि छंटनी, बंद करने और छंटनी के लिए लगाए गए प्रतिबंध उचित थे और इसलिए प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य थे। (पैरा 44)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मान लेने वाले प्रावधान अयोग्य हैं। कोई अपवाद नहीं है बशर्ते कि जांच शुरू होने पर या किसी अन्य कारण से समय समाप्त हो जाएगा या "गिरफ्तार" किया जाएगा। उपरोक्त किसी भी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी अपवाद को मान्यता नहीं दी गई है। (पैरा 45)

आगे कहा कि वर्तमान मामले में भी, चूंकि छंटनी के लिए आवेदन के 60 दिनों के भीतर निर्णय सूचित नहीं किया गया था, इसलिए अनुमति दी गई मानी जाती है। इस प्रकार दिनांकित 01.03.2021 के आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है।

(पैरा 48)

इसके अलावा कहा गया कि इस याचिका को खारिज कर दिया गया है।

(पैरा 49)

आगे कहा कि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने छंटनी के आधारों की वैधता पर विचार नहीं किया है। यह निर्णय केवल दिनांकित 01.03.2021 आदेश की वैधता की जांच करने तक सीमित है। (पैरा 50)

के. एल. अरोड़ा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

आदित्य जैन,

प्रतिवादी संख्या 1-केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए।चेतन मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सेठी, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2-कंपनी के लिए।

हरिंदर सिंह सिधु, जे।

(1) यह याचिका दिनांक 1.3.2021 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश को रद्द करने के निर्देश के लिए दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2-कंपनी द्वारा दायर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 25 एन (1) (बी) के तहत दिनांक 01.12.2020 के आवेदन पर अपने 37 श्रमिकों
को छंटनी करने की अनुमति मांगी गई है, यह माना जाता है कि अनुमति दाखिल करने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर दी गई थी।

(2) याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 का एक पंजीकृत और मान्यता प्राप्त संघ है।प्रतिवादी संख्या 2 एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो होजरी और बुनाई सुइयों के निर्माण में लगी हुई है ।प्रतिवादी संख्या 1 श्रम सचिव द्वारा से चंडीगढ़ प्रशासन है।

(3) 01.12.2020 प्रतिवादी संख्या 2-कंपनी पर याचिका में किए गए कथन के अनुसार, अधिनियम की धारा 25N (1) (b) के तहत सहायक श्रम आयुक्त-सह-सुलह अधिकारी (संक्षेप में 'श्रम आयुक्त') के समक्ष 37 श्रमिकों की छंटनी की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण कंपनी के उत्पादों की मांग स्थानीय और वैश्विक बाजार में कम हो गई थी।कंपनी के गोदामों में उत्पाद का बड़ा संचय था, इसलिए, कंपनी ने अपने कार्यबल में आनुपातिक कमी के साथ अपने उत्पादन को कम करने का फैसला किया था, यानी 37 श्रमिकों को 'अंतिम आओ पहले जाओ' के सिद्धांत पर।आवेदन प्राप्त होने पर श्रम आयुक्त ने याचिकाकर्ता-संघ को सुलह के लिए उनके समक्ष

उपस्थित होने के लिए एक नोटिस भेजा।याचिकाकर्ता-संघ के कुछ कार्यकर्ता श्रम आयुक्त के सामने पेश हुए।श्रम आयुक्त के समक्ष पाँच बैठकें आयोजित की गई।हालांकि, मामले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और श्रम सचिव को एक विफलता रिपोर्ट भेजी गई।श्रम सचिव ने याचिकाकर्ता-संघ को दिनांक 22.01.2021 पर एक संचार को संबोधित किया जिसमें प्रतिवादी No.2-Company से छंटनी के संबंध में नोटिस की प्राप्ति के बारे में सूचित किया गया था।उन्होंने मामले में सुनवाई/पूछताछ की तारीख 25.01.2021 तय की।हालाँकि केवल एक कर्मचारी अंकित पुरी और याचिकाकर्ता संघ को नोटिस प्राप्त हुआ था, लेकिन 25 कर्मचारी उस तारीख को श्रम सचिव के सामने उपस्थित हुए।01.03.2021 पर, विवादित आदेश पारित किया गया था।

(4) याचिका में, दिनांकित 01.03.2021 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश पर निम्नलिखित आधारों पर हमला किया गया हैः

i) धारा 25-एन (1) (ए) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन है।प्रबंधन द्वारा दिनांकित 01.12.2020 की छंटाई का नोटिस दिनांकित 01.12.2020 की छंटाई की अनुमति के लिए आवेदन के साथ भेजा गया था।तीन महीने के नोटिस या उसके बदले मजदूरी की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है।

(ii) यह आदेश धारा 25-एन (2) का उल्लंघन है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 01.12.2020 पर दायर अनुमति के लिए आवेदन केवल संघ को दिया गया था। यह एक साथ प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी को नहीं दिया गया था, प्रस्तावित किया वापस ले लिया गया था।।

(iii) आदेश एक गैर-भाषी आदेश है। यह श्रमिकों के हित को ध्यान में नहीं रखता है। अनुमति देने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

(iv) यह आदेश धारा 25-एन (3) के प्रावधानों का भंग है।प्रतिवादी संख्या 2-नियोक्ता ने 01.12.2020 पर छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन जमा किया था।इसके बाद सरकार

जांच में जुट गई। 25.01.2021 को पूछताछ की गई थी। जाँच को अंतिम रूप देने के बजाय 01.03.2021 पर विवादित आदेश पारित किया गया था। यानी अनुमति के लिए आवेदन के 90 दिनों के बाद। यह अवैध है क्योंकि एक बार जांच शुरू होने के बाद धारा 25 एन (4) के उद्देश्यों के लिए अवधि 'चलना बंद हो जाती है' और 'गिरफ्तार' हो जाती है। डीमिंग अनुमति प्रावधान लागू नहीं होता है।

v) कार्रवाई धारा 25-एन (6) का उल्लंघन है। आवेदन प्राप्त होने के बाद उपयुक्त सरकार ने जांच शुरू कर दी थी। 25.01.2021 पर, श्रम सचिव ने एक जांच की। चूंकि 60 दिनों की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को मामले को निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजने की आवश्यकता थी, जो नहीं किया गया था।

vi) छंटनी की अनुमति मांगने वाले आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज/विवरण प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसलिए यह एक अधूरा आवेदन था।

vii) कर्मचारियों की छंटनी का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कंपनी लाभ में चल रही है। जिन याचिकाकर्ताओं ने 10-20 साल की सेवा की है, उन्हें उनके जीवन के उन्नत वर्षों में उच्च और शुष्क छोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को भारी कठिनाई होती है।

(5) प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विस्तृत जवाब दायर किया गया है, जो याचिका में किए गए आरोपों का खंडन करता है।

(6) श्रमिकों की छंटनी के निर्णय की पृष्ठभूमि देते हुए कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 उच्च श्रेणी के औद्योगिक बुनाई और सिलाई मशीन की सुइयों के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। यह ग्रोज़-बेकर्ट ग्रुप, जर्मनी (जी. बी. जी.) की एक भारतीय सहायक कंपनी है जो औद्योगिक सुइयों, सटीक घटकों और महीन उपकरणों के साथ-साथ वस्त्रों के उत्पादन और जुड़ाव के लिए प्रणालियों और सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता है। प्रतिवादी संख्या 2 की स्थापना भारत में

1960 में की गई थी। यह चंडीगढ़ में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। भारत में इसकी दो विनिर्माण सुविधाएं हैं अर्थात 133-135 और 177A औद्योगिक क्षेत्र, चरण-I, चंडीगढ़।

(7) अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण कंपनी के उत्पादों में कमी आई थी। विनिर्मित वस्तुओं के स्टॉक में काफी वृद्धि हुई थी, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन अतिरिक्त श्रम शक्ति के कारण 37 श्रमिकों के साथ-साथ 15 कर्मचारियों को कर्मचारी श्रेणी से हटाने का फैसला किया गया था। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 ने श्रम आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के समक्ष आवेदन दायर कर 37 श्रमिकों की छंटनी की अनुमति मांगी। साथ ही, 37 श्रमिकों में से प्रत्येक को धारा 25-एन (1) (ए) के अनुसार लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस जारी किया गया था।

(8) छंटनी आवेदन दाखिल करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिनिधियों और याचिकाकर्ता संघ के बीच श्रम आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और सचिव, श्रम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित संबंधित श्रम प्राधिकरणों के समक्ष कई दौर की चर्चा हुई। उन कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 22297 दायर कर श्रम आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छंटनी आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश देने का अनुरोध किया। उस याचिका को एक वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। हालाँकि, वैकल्पिक उपाय को आगे बढ़ाने के बजाय, याचिकाकर्ताओं ने 2021 का सी. डब्ल्यू. पी. No.3886 दायर किया और आवेदन पर निर्णय लेने के लिए श्रम आयुक्त और श्रम सचिव को निर्देश देने की मांग की। प्रतिवादी संख्या 2 को जानबूझकर उक्त याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था। 2021 के सी. डब्ल्यू. पी. No.3886 का निपटान श्रम आयुक्त के एक वचन पर दिनांकित 24.02.2021के आदेश के माध्यम से किया गया था कि छंटनी आवेदन पर एक आदेश 28.02.2021 पर या उससे पहले पारित किया जाएगा। आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से सुनवाई के लिए लिया जा रहा है।

इस रिट याचिका में प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एन (संक्षेप में-'अधिनियम') के तहत प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने और अधिनियम की धारा 25-एन (3) के अनुसार उचित आदेश पारित करने के निर्देश के लिए है। प्रतिवादी संख्या 3 ने छंटनी की अनुमति मांगी है 37 प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यकर्ता, उक्त आवेदन दिनांक 01.12.2020 (अनुलग्नक पी-4बी) के माध्यम से। इस रिट याचिका में यह आशंका जताई गई है कि श्रमिकों और प्रतिवादी-कंपनी को सुनने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 2 उचित आदेश पारित नहीं कर सकता है और अधिनियम की धारा 25-एन (4) लागू हो सकती है। विद्वान वकील के निर्देश पर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए वरुण बेनीवाल, सहायक श्रम आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर अधिनियम की धारा 25-एन के तहत आवेदन प्राधिकरण के विचाराधीन है और 28.02.2021 से पहले उचित आदेश पारित किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विशिष्ट रुख को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(9) इसके बाद, 01.03.2021 पर विवादित आदेश पारित किया गया जिसे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

'चंडीगढ़ प्रशासन

न0. एमआईएससी। एच. आई. आई. (2)-2021/2381 दिनांकः1.3.2021 आदेश (10) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एन (1) (बी) के तहत एक आवेदन मेसर्स ग्रोज़ बेकर्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड

चंडीगढ़ द्वारा 1.12.2020 पर दायर किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एन (4) के अनुसार अनुमति को दाखिल करने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर दी गई मानी जाती है।

(11) यह कहा गया है कि श्रम आयुक्त का छंटनी आवेदन पर आदेश पारित करने का वचन वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता में दिया गया था, क्योंकि जिस तारीख को वचन दिया गया था, यानी 24.02.2021, धारा 25-N (4) के तहत निर्धारित 60 दिनों की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी और अनुमति 30.01.2021 पर दी गई मानी गई थी। यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 25-एन (4) के संदर्भ में मानित अनुमोदन के बल पर, प्रतिवादी संख्या 2 ने 37 श्रमिकों को डब्ल्यू. ई. एफ. 26.02.2021 से हटा दिया और उक्त श्रमिकों को पूर्ण और अंतिम बकाया (ग्रेच्युटी को छोड़कर) का भुगतान भी किया। उपरोक्त पूर्ण और अंतिम देय राशि को बिना किसी विरोध के उनके द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया।

(12) इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 24.02.2021 के आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.03.2021 का विवादित आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा 25-एन (4) के अनुसार 30.01.2021 पर 'मानित अनुमोदन' दिया गया है। 28.02.2021 को रविवार था। आदेश अगले ही दिन यानी 01.03.2021 पारित किया गया था।

(13) याचिकाकर्ताओं के इस कथन का खंडन करते हुए कि कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस जारी नहीं किए गए थे, यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने सभी 37 श्रमिकों के साथ-साथ याचिकाकर्ता-संघ को भी छंटनी आवेदन की भौतिक प्रतियां सौंपी थीं। कर्मचारियों ने प्रतिवादी सं. 2 से अधिकारियों से छंटनी के नोटिस को प्रतिग्रहण करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने कंपनी के नोटिस बोर्ड पर सभी अनुलग्नकों के साथ छंटनी आवेदन प्रदर्शित किया।

(14) यह दावा किया गया है कि रिट याचिका में यह स्वीकार किया गया है कि हटाए गए श्रमिकों ने छंटनी आवेदन के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा में भाग लिया। याचिकाकर्ता संघ ने सभी मंचों से हटाए गए 37 श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व किया। इसलिए, याचिकाकर्ता को यह याचिका दायर करने से रोक दिया गया है कि 37 प्रभावित श्रमिकों को छंटनी का नोटिस नहीं दिया गया था।

(15) प्रतिवादी संख्या 1-सचिव, श्रम विभाग, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है कि 24-02-2021 को वास्तव में 2021 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3886 में जिस दिन आदेश पारित किया गया था, उस दिन अधिकारी पहले से ही अधिनियम की धारा 25एन (4) के तहत निर्धारित समय समाप्त होने के कारण प्रबंधन द्वारा दायर आवेदन का कार्य-अधिकारी बन चुके थे। यह दावा किया जाता है कि धारा 25 एन (4) में प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पारित कोई भी आदेश संबंधित प्रावधानों के दायरे में होता और स्पष्ट रूप से अवैध होता।

(16) याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिकृति दायर की गई है, जिसमें, मुख्य रूप से, अभिकथन किए गए हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित छंटनी के आधार मौजूद नहीं हैं और छंटनी के लिए कोई औचित्य नहीं था। कहा जाता है कि कारखाना केवल 39 दिनों के लिए बंद रहा। उत्पादन केवल ढाई महीने की छोटी अवधि के लिए कम किया गया था जब कंपनी सामान्य तीन पालियों के बजाय दो पालियों में चलती थी। तीनों पालियों ने 16.03.2021 से काम करना शुरू कर दिया। निदेशक, उद्योग द्वारा कंपनी को अपने विनिर्माण कार्यों को जारी रखने के लिए 24.04.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया केवल ढाई महीने की छोटी अवधि के लिए निलंबित रही। यह कहा गया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति छंटनी की गारंटी नहीं देती है। यह आगे कहा गया है कि तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते से यह स्पष्ट है कि कंपनी का लाभ 2016-17 से 2019-20 के वर्षों के दौरान हर साल बढ़ रहा है। इन वर्षों में बिक्री में भी वृद्धि हुई है। अप्रैल, 2020 से जुलाई, 2020 तक बिक्री कम रही। हालाँकि, 9/2020 और 10/2020 के दौरान बिक्री के आंकड़े

पूर्व-कोविड अवधि के सामान्य स्तर पर पहुँच गए।10/2020 पर स्टॉक की स्थिति भी लगभग पूर्व-कोविड अवधि के समान थी। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि 'अंतिम आओ पहले जाओ' के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है जबकि 37 कामगारों की छंटनी के बाद ठेकेदार द्वारा से 4 से 5 नए श्रमिकों की भी भर्ती की है।

(17) उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरोड़ा का कहना है कि 37 श्रमिकों की छंटनी पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने तर्क दिया कि नियोक्ता द्वारा दायर छंटनी के लिए आवेदन पर निर्णय लेने में सक्षम प्राधिकारी को नियोक्ता, संबंधित श्रमिकों और इस तरह की छंटनी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सुनना आवश्यक है, और नियोक्ता द्वारा बताए गए कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता, श्रमिकों के हितों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विधिवत विचार करने के बाद, अनुमति देने या अस्वीकार करने के कारण देते हुए लिखित रूप में एक आदेश पारित करें। ऐसा नहीं किए जाने पर भी श्रमिकों की छंटनी अवैध है। जहां तक प्रत्यर्थियों के इस रुख का संबंध है कि 60 दिनों के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो अधिनियम की धारा 25-एन (4) के अनुसार अनुमति दी गई मानी जानी चाहिए, श्री अरोड़ा का तर्क है कि उक्त प्रावधान केवल उस मामले में आकर्षित किया जाएगा जहां छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने के बाद सरकार द्वारा कोई जांच शुरू नहीं की जाती है। हालांकि, जहां सरकार द्वारा 60 दिनों की अवधि के भीतर जांच शुरू की जाती है, वहां 'मानित अनुमति' का कोई सवाल नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में, सरकार को एक आदेश पारित करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि जांच शुरू होने पर, धारा 25-एन (4) के तहत निर्धारित 60 दिनों की अवधि बंद हो जाती है।

(18) रिलायंस को जयहिंद इंजीनियरिंग, यूनिट-I बनाम कर्नाटक राज्य[1] में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले पर रखा गया है। उस मामले में, न्यायालय अधिनियम की धारा 25-ओ के तहत एक समान प्रावधान पर विचार कर रहा था जो एक उपक्रम को बंद

करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। धारा 25-ओ की उप- धारा (3) धारा 25-एन (4) के अनुरूप है। धारा 25-ओ (3) के अनुसार, जहां किसी नियोक्ता द्वारा धारा 25-ओ की उप-धारा (1) के तहत बंद करने के लिए पूर्व अनुमति मांगने वाला आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार नियोक्ता को अनुमति देने या देने से इनकार करने के आदेश को उस तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचित नहीं करती है, जिसके लिए आवेदन किया गया है, तो यह माना जाएगा कि अनुमति 60 दिनों की अवधि की समाप्ति पर दी गई थी। उपरोक्त प्रावधान का निर्माण करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया था कि जबकि प्राधिकरण खंड 25-ओ के तहत आवेदन को जब्त कर लिया गया था और खंड 25-ओ (2) द्वारा आवश्यक जांच के साथ आगे बढ़ाया गया था, धारा 25-ओ (3) के तहत काल्पनिक कल्पना पर जांच को रद्द करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था। खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

"10. हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए उक्त निष्कर्ष में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि श्री विजयशंकर ने तर्क दिया है कि जब औद्योगिक इकाई को बंद करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो राज्य सरकार को जल्द से जल्द आदेश देने की आवश्यकता होती है। श्री विजयशंकर द्वारा इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी हमारे इस विचार का समर्थन करती है कि आवेदन का शीघ्र निपटान किया जाना आवश्यक है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि आवेदन को यांत्रिक तरीके से और दिमाग के उपयोग के बिना निपटाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 25-ओ की उप-धारा (2) राज्य सरकार की ओर से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जांच करना अनिवार्य बनाती है जो वह उचित समझती है और नियोक्ता और ऐसे समापन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने का आदेश देना अनिवार्य बनाती है। इस तरह का आदेश देते समय, राज्य सरकार को नियोक्ता द्वारा बताए गए कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता और आम जनता के हित और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए, उप-धारा के तहत विचार की गई जांच की

प्रकृति (2) अधिनियम की धारा 25-ओ में परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार को जांच के दौरान कुछ उचित समय लेना होगा। इसलिए, किसी भी वैध कारण से, यदि जांच किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के उपक्रम को बंद करने की मांग करने वाले आवेदन की तारीख से साठ दिनों से आगे जाती है और उस स्थिति में यदि यह माना जाना है कि चूंकि अनुमति देने से इनकार करने का कोई आदेश नहीं दिया गया था, तो उप-धारा के संदर्भ में मान ली गई अनुमति (3) अधिनियम की धारा 25-ओ नियोक्ता को दी जाती है, जिससे श्रमिकों और आम जनता के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले प्रतिकूल परिणाम सामने आएंगे। इस तरह के विवाद की स्वीकृति उप-धारा के तहत विचार की गई जांच के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगी। (2) अनुमति देने या देने से इनकार करने का आदेश दिए जाने से पहले अधिनियम की धारा 25-ओ के कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, न्यायालय इस तरह के हास्यास्पद तर्क परिणाम के परिणामों से अनजान नहीं हो सकता है। इसलिए, हमारा विचार है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही पाया गया है, एक बार राज्य सरकार द्वारा आवेदन की प्राप्ति पर एक जांच नोटिस जारी किया जाता है, तो अधिनियम की उप-धारा (3) के तहत साठ दिनों की अवधि चलती है। 25-ओ के तहत गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए, श्री विजयशंकर की दूसरी प्रस्तुति को भी किसी भी योग्यता के बिना अस्वीकार किया जा सकता है।"

(19) उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्णय के खिलाफ दायर 2004 के एसएलपी सिविल No.11255-11256 को खारिज कर दिया गया था। **श्री अरोड़ा** ने जोर देकर कहा कि उपरोक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले में भी लागू होगा।

(20) **श्री अरोड़ा** की दलीलों का **श्री चेतन** मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता। द्वारा विरोध किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उन्होंने तर्क दिया कि धारा 25-एन (4) के प्रावधान **सही** और स्पष्ट हैं। यदि आवेदन पर कोई आदेश 60 दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित नहीं किया जाता है तो अनुमति दी गई मानी जाती है। उनका कहना है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 25-एन की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख आधार यह था कि श्रमिकों की छंटनी की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए एक विशिष्ट समय

सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में धारा 25-एन (3) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए इस न्यायालय को गुण-दोष या छंटनी के औचित्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता, यदि 'मानित अनुमति' के आदेश से व्यथित है, तो उसके पास औद्योगिक विवाद उठाने का उपाय है।

(21) **श्री मित्तल** ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी बनाम मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड [2] पापनासम लेबर यूनियन बनाम मदुरा कोट्स लिमिटेड [3], हरियाणा राज्य बनाम हितकारी पॉटरीज लिमिटेड [4] एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [5] और उड़ीसा उच्च न्यायालय ओ. सी. एल. इंडिया का निर्णय, लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य [6]के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है धारा 25-एन छंटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को निर्दिष्ट करती है और नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः
धारा **25-एन। श्रमिकों की छंटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्तें**

"25-एन. की छंटनी के लिए पूर्ववर्ती श्रमिकों की **शर्तें** — (1) जिस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर यह अध्याय लागू होता है, उसमें नियोजित कोई भी कर्मचारी, जो किसी नियोक्ता के अधीन कम से कम एक वर्ष से निरंतर सेवा में है, उस नियोक्ता द्वारा तब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(क) कर्मचारी को तीन महीने का लिखित नोटिस दिया गया है जिसमें छंटनी के कारणों का संकेत दिया गया है और नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है, या कर्मचारी को इस तरह के नोटिस के बदले, नोटिस की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया है; और

[2] (1992) 3 एस. सी. सी. 336

[3] .(1995) 1 एस. सी. सी. 501

[4] .(2001) 10 एससीसी 74

[5] (2010) 4 एससीसी 272

[6] 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन ओ. आर. 63

(ख) उपयुक्त सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व अनुमति जो उस सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है (इसके बाद इस खंड में निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) इस संबंध में किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई है।

(2) उप-धारा (1) के तहत अनुमति के लिए एक आवेदन नियोक्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से इच्छित छंटनी के कारणों को बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी निर्धारित तरीके से संबंधित श्रमिकों को एक साथ दी जाएगी।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, वहां उपयुक्त सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझती है और नियोक्ता को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, संबंधित कर्मचारी और ऐसी छंटनी में रुचि रखने वाले व्यक्ति, नियोक्ता द्वारा बताए गए कारणों, श्रमिकों के हितों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों की वास्तविकता और पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसी अनुमति प्रदान कर सकते हैं या देने से इनकार कर सकते हैं और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोक्ता और श्रमिकों को सूचित की जाएगी।

(4) जहां उप-खंड (1) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकरण नियोक्ता को अनुमति देने या देने से इनकार करने के आदेश को सूचित नहीं करता है। जिस तारीख को ऐसा आवेदन किया गया है, उससे साठ दिनों की अवधि के भीतर, आवेदन की गई अनुमति को साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर दिया गया माना जाएगा।

(5) उपयुक्त सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुमति देने या देने से इनकार करने का आदेश, उप-धारा (6) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।

(6) उपयुक्त सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी कर्मचारी द्वारा किए गए आवेदन पर, उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या देने से इनकार

करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है या मामले को, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण को भेज सकता हैः

बशर्ते कि जहां इस उप-धारा के तहत किसी न्यायाधिकरण को निर्देश दिया गया है, वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर एक पुरस्कार पारित करेगा।

(7) जहां उप-धारा (1) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या जहां किसी भी छंटनी की अनुमति से इनकार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी उस तारीख से अवैध मानी जाएगी जिस दिन कर्मचारी को छंटनी की सूचना दी गई थी और कर्मचारी उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभी लाभों का हकदार होगा जैसे कि उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

(8) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यह उपयुक्त सरकार, यदि संतुष्ट हो जाती है कि प्रतिष्ठान में नियोक्ता की मृत्यु दुर्घटना द्वारा या या इसी तरह की असाधारण परिस्थितियों के कारण, ऐसा करना आवश्यक है, तो निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में ऐसी अवधि के लिए आदेश लागू नहीं होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए।

(9) जहां उप- धारा (3) के तहत छंटनी की अनुमति दी गई है या जहां उप- धारा (4) के तहत छंटनी की अनुमति दी गई है, वहां प्रत्येक कर्मचारी जो इस खंड के तहत अनुमति के लिए आवेदन की तारीख से तुरंत पहले उस प्रतिष्ठान में कार्यरत है, के समय प्राप्त करने का हकदार होगा। छंटनी, मुआवजा जो निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के उसके किसी भी हिस्से के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा।"

(22) जैसा कि धारा 25-ओ में समान प्रावधान का अर्थ लगाने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया गया है, धारा 25-ओ के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"25-ओ. किसी उपक्रम को बंद करने की प्रक्रिया।—

(1) एक नियोक्ता जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के किसी उपक्रम को, जिस पर यह अध्याय लागू होता है, बंद करने का इरादा रखता है, निर्धारित तरीके से, उस तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले पूर्व अनुमति के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन करेगा, जिस तारीख को इच्छित बंद प्रभावी होना है, जिसमें उपक्रम के इच्छित बंद होने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी निर्धारित तरीके से श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ दी जाएगीः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई बात भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के लिए स्थापित किसी उपक्रम पर लागू नहीं होगी।

(2) जहां उप- धारा (1) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, वहां उपयुक्त सरकार, ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझती है और नियोक्ता को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, ऐसे बंद करने में रुचि रखने वाले कर्मचारी और व्यक्ति, नियोक्ता द्वारा बताए गए कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता, आम जनता के हितों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसी अनुमति दे सकते हैं या देने से इनकार कर सकते हैं और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोक्ता और श्रमिकों को सूचित की जाएगी।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार नियोक्ता को अनुमति देने या देने से इनकार करने के आदेश को उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर सूचित नहीं करती है जिस दिन ऐसा आवेदन किया गया है, तो आवेदन की की गई अनुमति, साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर दी गई मानी जाएगी।

(4) उपयुक्त सरकार का अनुदान देने का आदेश या अनुमति देने से इनकार करना, उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन, सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।

XXX XXX "

(23) धारा 25-एन की संवैधानिक वैधता की जांच करते हुए कामगार बनाम मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड [7] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा धारा 25-एन के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया गया था।

(24) अदालत ने कहा कि धारा 25-एन का अंतर्निहित उद्देश्य, छंटनी के कारणों की पूर्व जांच शुरू करने में, मौजूदा रोजगार की रक्षा करके छंटनी के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को रोकना और बेरोजगारी की वृद्धि को रोकना था, जो अन्यथा बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियुक्त करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी का परिणाम होगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति और सद्भाव बनाए रखते हुए उत्पादन और उत्पादकता की उच्च गति बनाए रखना भी है। इसने अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार धारा 25-एन संविधान के निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। इसलिए श्रमिकों की छंटनी के नियोक्ता के अधिकार पर धारा 25-एन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को आम जनता के हित में लगाया गया माना जाना चाहिए।

(25) इसके बाद न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या खंड 25-एन में शामिल उक्त प्रतिबंधों को उचित प्रतिबंध माना जा सकता है। ऐसा करते समय न्यायालय ने विभिन्न प्रतिबंधों के महत्व और औचित्य को भी निम्नानुसार समझायाः

"28. धारा 25-एन की उप- धारा (1) में एक संशोधन के साथ धारा 25-एफ में निहित प्रावधानों के समान प्रावधान हैं कि धारा 25-के द्वारा कवर किए गए और अध्याय 5-बी के भीतर आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक कर्मचारी की छंटनी के लिए दी जाने वाली सूचना की अवधि धारा 25-एफ के तहत आवश्यक एक महीने की सूचना के बजाय तीन महीने है। नोटिस की अवधि की आवश्यकता धारा 25-एन की उप- धारा (3) द्वारा इंगित की गई है

[7] (1992) 3 एस. सी. सी. 336

क्योंकि उक्त नोटिस की सेवा की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण को अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के लिए सूचित करना आवश्यक है। नियोक्ता ऐसी जांच करने के बाद जो वह उप-धारा (2) के तहत उचित समझता है। इस समय अनुसूची को बनाए रखने में विफलता का परिणाम उप-धारा (3) में इंगित किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि सरकार या प्राधिकरण सूचना की सेवा की तारीख से तीन महीने के भीतर नियोक्ता को अनुमति या अनुमति देने से इनकार करने के बारे में सूचित नहीं करता है, तो सरकार या प्राधिकरण को तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसी छंटनी की अनुमति दी गई मानी जाएगी। धारा 25-एन की उप- धारा (2) द्वारा जो परिवर्तन लाया गया है, वह यह है कि धारा 25-एफ के तहत छंटनी का आदेश पारित होने के बाद छंटनी की वैधता और औचित्य के बारे में न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के बजाय, छंटनी की सूचना की सेवा के बाद और छंटनी प्रभावी होने से पहले एक जांच की जानी है और कहा गया है कि इस बीच यथास्थिति बनाए रखते हुए उसके द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण द्वारा जांच की जानी है।"

XXX XXX XXX

57. धारा 25-एन के तहत कर्मचारियों की वैध रूप से छंटनी करने के लिए, उप- धारा (2) के तहत ऐसी छंटनी के लिए अनुमति प्राप्त करने के अलावा, एक नियोक्ता को अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है, जैसे कि उप- धारा (1) के धारा (ए) के तहत छंटनी के लिए प्रस्तावित श्रमिकों को तीन महीने का नोटिस देना या नोटिस के बदले मजदूरी का भुगतान करना, उप- धारा (1) के धारा (बी) के तहत उन्हें छंटनी का मुआवजा देना और धारा 25-जी की आवश्यकता का पालन करना, जो धारा 25-जी के मद्देनजर धारा 25-एन के तहत छंटनी के लिए लागू होती है। इन शर्तों का पालन करने में नियोक्ता की ओर से विफलता के कारण एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो सकता है और इसे निम्नलिखित निर्णय के लिए भेजा जा सकता है।

इसके अलावा, ऐसे मामले में भी श्रमिकों द्वारा एक औद्योगिक विवाद उठाया जा सकता है जहां छंटनी की अनुमति देने या अस्वीकार करने के आदेश को सूचित करने में उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण की विफलता के कारण धारा **25-एन की उप-** धारा **(3) के तहत दी गई अनुमति के आधार पर छंटनी की गई है। उप-धारा (1) के** धारा **(ग) के तहत नोटिस की तामील की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर क्योंकि ऐसे मामले में, उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित छंटनी के कारणों पर गुण-दोष के आधार पर कोई विचार नहीं किया गया है और निर्णय के लिए विवाद के संदर्भ को बाधित नहीं किया जाएगा।** जिस पर विचार किया जाना बाकी है वह यह है कि क्या एक औद्योगिक विवाद उठाया जा सकता है और इसे ऐसे मामले में निर्णय के लिए भेजा जा सकता है जहां उपयुक्त सरकार ने या तो छंटनी की अनुमति दी है या धारा 25-एन की उप- धारा (2) के तहत ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। चूँकि धारा 25-एन की उप- धारा (7) में उप- धारा (2) के तहत पारित आदेश को अंतिम रूप देने वाला कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस तरह की छंटनी की अनुमति देने वाले आदेश के अनुसरण में प्रभावी छंटनी से पीड़ित श्रमिकों के लिए यह अनुमति होगी कि छंटनी उचित नहीं थी और उपयुक्त सरकार के लिए इस तरह के विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने की अनुमति होगी, हालांकि इस तरह के विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजे जाने की संभावना बहुत कम होगी क्योंकि छंटनी की अनुमति देने वाला आदेश या तो उपयुक्त सरकार या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया होगा और अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ भी उपयुक्त सरकार द्वारा दिया जाना है। चूँकि अधिनियम की धारा 2 (के) में परिभाषित 'औद्योगिक विवाद' अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति के गैर-रोजगार से जुड़े विवाद को शामिल करती है और अधिनियम की धारा 10 उपयुक्त सरकार को उस मामले में एक संदर्भ देने का अधिकार देती है जहां एक औद्योगिक विवाद पकड़ा जाता है, श्रमिकों की छंटनी का प्रस्ताव करने वाला एक नियोक्ता, जो धारा 25-एन की उप- धारा (2) के तहत छंटनी की अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश से व्यथित महसूस करता है, वह भी अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्णय के लिए प्रस्तावित छंटनी से संबंधित ऐसे विवाद के संदर्भ के लिए आगे बढ़ सकता है, हालांकि इस तरह के संदर्भ की

समान रूप से दूर होगी। नियोक्ता जो छंटनी की अनुमति से इनकार करने के आदेश से व्यथित महसूस करता है, इस प्रकार उसी आधार पर खड़ा है जिस आधार पर कर्मचारी धारा 25-एन की उप- धारा (2) के तहत छंटनी की अनुमति देने वाले आदेश से व्यथित महसूस कर रहे हैं। चूंकि दोनों के लिए किसी औद्योगिक विवाद को उठाना अनुज्ञेय है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा निर्णय के लिए भेजा जा सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रमिकों की तुलना में, नियोक्ता को औद्योगिक विवाद उठाने और उसे निर्णय के लिए भेजे जाने के मामले में नुकसान होता है। इस प्रकार नियोक्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में भेदभाव के बारे में की गई शिकायत निराधार है। इसलिए, चौथा तर्क खारिज कर दिया जाता है।"

(26) धारा 25-एन (4) का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि समय अनुसूची का पालन करने में विफलता का परिणाम उप- धारा (3) में इंगित किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि सरकार या प्राधिकरण सूचना की सेवा की तारीख से तीन महीने के भीतर नियोक्ता को अनुमति या अनुमति देने से इनकार करने के बारे में सूचित नहीं करता है, तो सरकार या प्राधिकरण को तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसी छंटनी के लिए अनुमति दी गई मानी जाएगी।

(27) उड़ीसा टेक्सटाइल एंड स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य में, [8]सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-ओ की संवैधानिक वैधता थी, जैसा कि 1982 के संशोधन अधिनियम 46 द्वारा संशोधित किया गया था।

(28) न्यायालय ने एक्सेल वियर बनाम भारत संघ [9] के निर्णय को स्वीकार किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी व्यवसाय को बंद करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी के अनुसार व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत इस अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध हो सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

कानून लापरवाह, अनुचित, अन्यायपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बंद को रोकने का प्रावधान कर सकता है। एक्सेल वियर में धारा 25-ओ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को विभिन्न कारणों से अनुचित माना गया था, जिनमें से एक यह था कि धारा में अनुमोदन के लिए कोई प्रावधान नहीं माना गया था।

(29) एक्सेल वियर में निर्णय के बाद 1982 में धारा 25-ओ में संशोधन किया गया था। न्यायालय ने तब गैर-संशोधित धारा 25-ओ, संशोधित धारा 25-ओ और धारा 25-एन के बीच तुलना की। इसने अभिनिर्धारित किया कि सारतः संशोधित धारा 25-ओ धारा 25-एन (जिस पर मीनाक्षी मिल्स मामले में विचार किया गया था) के समान थी। इसमें कई नए प्रावधान शामिल थे और अन्य में काफी संशोधन किया गया। यह राय दी गई थी कि हालांकि मीनाक्षी मिल्स का मामला छंटनी से संबंधित है, हालांकि वही सिद्धांत लागू होंगे क्योंकि सभी श्रमिकों की सेवा की समाप्ति को बंद करने का प्रभाव का भी होता है इसके अलावा धारा 25-एन और धारा 25-ओ अध्याय 5 दोनों में हैं। इसने इस तर्क को नकार दिया कि मीनाक्षी मिल्स मामले में निर्धारित सिद्धांतों की (संशोधित) धारा 25-ओ की संवैधानिक वैधता तय करने में कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन विभिन्न आधारों पर चर्चा की जिनके आधार पर एक्सेल वियर में गैर-संशोधित धारा 25-ओ को निरस्त कर दिया गया था और 1982 के संशोधन के बाद उन आधारों का अस्तित्व कैसे समाप्त हो गया था।

(31) धारा 25-ओ में प्रावधान की अनुपस्थिति में विशिष्ट संदर्भ दिया गया था जो एक्सेल वियर मामले में इसे असंवैधानिक घोषित करने के आधारों में से एक था। इसने देखा कि एक डीमिंग प्रावधान को शामिल करने के साथ दोष ठीक हो गया था।

"13. अब संशोधित धारा 25-ओ की उप- धारा (3) में यह प्रावधान है कि यदि उपयुक्त सरकार आवेदन किए जाने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आदेश को सूचित नहीं

[8](2002) 2 एस. सी. सी. 578

[9] (1978) 4 एससीसी 224

करती है, तो आवेदन की गई अनुमति को स्वीकृत माना जाएगा। इस प्रकार यह दोष भी ठीक हो गया है।"

(32) एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य में [10]माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 25-एन की योजना पर फिर से विचार किया और कहा कि उप- धारा (4) में मानित अनुमति का प्रावधान है। न्यायालय ने यह भी कहा कि छंटनी का विषय पूरी तरह से धारा 25-एन के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैंः

"40. जैसा कि धारा 25-एन से देखा जा सकता है, इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की छंटनी के लिए एक पूरी योजना है जहां श्रमिकों की संख्या सौ से अधिक है। धारा (ए) और (बी) छंटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को निर्धारित करते हैं और संबंधित श्रमिकों को नोटिस के बदले में तीन महीने के नोटिस या तीन महीने के वेतन और उपयुक्त सरकार/निर्धारित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्रदान करते हैं। उप-धारा (2) और (3) में स्पष्ट रूप से उपयुक्त सरकार/निर्धारित प्राधिकारी को अर्ध-न्यायिक निर्णय लेने और नियोक्ता पर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की परिकल्पना की गई है। उचित जांच करने और न केवल नियोक्ता और संबंधित श्रमिकों को, बल्कि ऐसी छंटनी में रुचि रखने वाले व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन उप-धारा (4) मानित अनुमति का प्रावधान है। उप-धारा (5)सरकार के निर्णय को सभी पक्षों पर बाध्यकारी बनाता है। उप-धारा (6) सरकार को समीक्षा की शक्ति और नियोक्ता के आवेदन को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को अनुमति के लिए भेजने की शक्ति देती है। सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी छंटनी को उप-धारा (7) द्वारा इस शर्त के साथ स्पष्ट रूप से अवैध बना दिया गया है कि इसके परिणामस्वरूप सेवा की समाप्ति आरम्भतः ही शून्य होगी। उप-धारा (8) सरकार को कुछ असाधारण परिस्थितियों में उप-धारा (1) के आवेदन से छूट देने का अधिकार देती है और उप-धारा (9) संबंधित श्रमिकों को छंटनी मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करती है।

41. औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 के नियम 76-ए में धारा 25-एन के तहत छंटनी करने के लिए उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति लेने के लिए प्रक्रियात्मक विवरण दिए गए हैं। छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन फॉर्म पी. ए. में किया जाना है और इसके लिए नियोक्ता को सभी प्रासंगिक सामग्रियों को काफी विस्तार से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

42. इस प्रकार, यह देखा गया है कि छंटनी का विषय पूरी तरह से अधिनियम द्वारा कवर किया गया है। नियोक्ता के लिए उस संबंध में मांग करने और अधिनियम की धारा 10 (1) के संदर्भ में आगामी औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए खुला नहीं छोड़ा गया है।

(33) पापनासम लेबर यूनियन बनाम मदुरा कोट्स लिमिटेड [11] उच्चतम न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एम की संवैधानिक वैधता पर विचार कर रहा था क्योंकि यह औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 के बाद खड़ा था क्योंकि इसे छंटनी करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी।

(34) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

"25-एम. छंटनी का निषेध।— (1) कोई कर्मचारी (अन्य एक बदली श्रमिक या एक आकस्मिक श्रमिक) जिसका नाम एक औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिसके लिए यह अध्याय लागू होता है, के मस्टर-रोल पर निहित है, उसके नियोक्ता द्वारा ऐसे प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अलावा, जो उस उपयुक्त सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जब तक कि ऐसी छंटनी बिजली की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण न हो।

(2) जहां औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ से पहले किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी (बादली कर्मचारी या आकस्मिक कर्मचारी के अलावा) को हटा दिया गया है और ऐसी छंटनी ऐसे प्रारंभ पर जारी है, ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता, ऐसे प्रारंभ से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, छंटनी जारी रखने की अनुमति के लिए उप- धारा (1) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

(3) उप- धारा (1) या उप- धारा (2) के तहत अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन के मामले में, जिस प्राधिकारी को आवेदन किया गया है, वह ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है।

(4) जहां उप- धारा (1) या उप- धारा (2) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और जिस प्राधिकारी को आवेदन किया गया है, वह उस तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के बारे में सूचित नहीं करता है, जिसके लिए आवेदन किया गया है, यह माना जाएगा कि अनुमति दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति पर दी गई थी।"

XXX XXX "

(35) इस प्रावधान को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"18. हमारे विचार में, खंड 25-एन की वैधता को बनाए रखने में उपरोक्त टिप्पणियां खंड 25-एम की वैधता को बनाए रखने में पूरी तरह से लागू होती हैं। यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने खंड 25-एम में छंटनी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता को छूट देने में ध्यान रखा है यदि बिजली की विफलता या प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऐसी छंटनी की आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसे कारण गंभीर, अचानक और स्पष्ट होते हैं, तो कोई और जांच नहीं की जाती है। बुलाया जाता है। छंटनी की तत्काल कार्रवाई को उचित ठहराने वाली कई अन्य आकस्मिकताएं हो सकती हैं, लेकिन फिर विधानमंडल ने अपने विवेक से यह अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में वांछनीय समझा है कि छंटनी का निर्णय नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रभाव से अपने स्वयं के मूल्यांकन पर नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन नियोक्ता को संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन लेना चाहिए, जो संबंधित उद्योग और अन्य प्रासंगिक कारकों से जुड़ी समस्याओं के लिए उचित

रूप से अपेक्षित है, ताकि छंटनी की अनुमति देने के लिए अनुरोध किए गए कारणों की जांच पर, ऐसा प्राधिकरण छंटनी की अनुमति के अनुसार या अनुमति देने से इनकार करने के मामले में एक उचित और उचित निर्णय पर पहुंच सके। ऐसा प्राधिकरण शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में, अनुमति लेने की तारीख से दो महीने से अधिक की अवधि के भीतर छंटनी की अनुमति देने के लिए आवेदन का निपटान करने के लिए बाध्य है। यह संभावना नहीं हो सकती है कि कुछ मामलों में एक नियोक्ता को दो महीने की अवधि तक बिना शर्त कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसके भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा छंटनी के लिए उसके आवेदन का निपटारा करना आवश्यक है, लेकिन एक बड़ी श्रम शक्ति को नियोजित करते हुए एक औद्योगिक इकाई की स्थापना करके एक उत्पादक उद्यम शुरू करने के बाद, ऐसे नियोक्ता को कुछ अवसरों पर ऐसे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और कुछ समय के लिए कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दो महीने से अधिक नहीं, जिसके भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा छंटनी के लिए उसके मामले पर विचार करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह माना जाएगा कि अनुमति दी गई है। औद्योगिक शांति और सद्भाव बनाए रखने और उचित कारण के बिना बेरोजगारी को रोकने के लिए व्यापक लोक हित में, खंड 25-एम की उप-खंड (2) के तहत लगाए गए प्रतिबंध को मनमाना, अनुचित या उस आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं माना जा सकता है जिसके लिए ऐसा प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

19. यह इंगित किया जा सकता है कि उप-धारा (3) में लिए गए निर्णय के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है, और आदेश की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित करने की आवश्यकता है। **इसके अलावा, उप-धारा (4) के बल पर, मांगी गई अनुमति दी गई मानी जाएगी, यदि निर्णय उल्लिखित अवधि के भीतर सूचित नहीं किया गया है। प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता का ध्यान रखा गया है। इन प्रावधानों जहां तक मूल तर्कसंगतता का संबंध है, हम संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि विचाराधीन शक्ति का** एक

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाता है और जैसा कि यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि निर्दिष्ट किया जाने वाला एक उच्च प्राधिकारी होगा जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत होगा।यदि ऐसे प्राधिकरण को सूचित किया जाता है कि मशीनरी के अचानक टूटने के कारण छंटनी की आवश्यकता है, जो डॉ. घोष द्वारा प्रतिबंध को अनुचित मानने के लिए हमें मनाने के लिए दिया गया था, तो हमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण तुरंत कार्रवाई करेगा और यह देखेगा कि विचाराधीन प्रतिष्ठान को बिना किसी गलती के नुकसान नहीं होगा। चूँकि प्रत्येक शक्ति का उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, और इस तरह का प्रयोग उचित समय के भीतर शक्ति का प्रयोग अपने दायरे में लेता है, हम इस बात को मान सकते हैं कि वैधानिक प्रावधान के लिए आवश्यक है कि स्पष्ट कारणों (जैसे अचानक टूटना) में छंटनी को उचित ठहराते हुए, प्राधिकरण तेजी से कार्य करेगा।''

(36) धारा 25-एम (5) का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उप- धारा (4) के बल पर, मांगी गई अनुमति दी गई मानी जाएगी, यदि निर्णय उल्लिखित अवधि के भीतर सूचित नहीं किया गया है।

(37) हरियाणा राज्य बनाम हितकारी पॉटरीज लिमिटेड [12] माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 25-ओ के तहत कंपनी को बंद करने की अनुमति उस तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या देने से इनकार करने के आदेश को सूचित करने में सरकार की विफलता के कारण दी गई थी, जिस दिन ऐसा आवेदन किया गया था।

(38) माननीय उच्चतम न्यायालय का संक्षिप्त आदेश नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

[12] (2001) 10 एस. सी. सी. 74

"1. प्रतिवादी 1 (इसके बाद "प्रतिवादी" के रूप में संदर्भित) द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-ओ (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत 15-1-1998 पर कंपनी को बंद करने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया गया था। 2-4-1998 को सरकार की ओर से प्रतिवादी को इस आशय का एक पत्र भेजा गया था कि उसके द्वारा दायर आवेदन कुछ पहलुओं में दोषपूर्ण है और इसलिए खारिज कर दिया गया है।

ए. अधिनियम की धारा 25-ओ (3) के तहत यदि सरकार अनुदान देने या देने से इनकार करने के आदेश को सूचित नहीं करती है जिस तारीख को ऐसा आवेदन किया गया है, उस तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति, आवेदन की गई अनुमति 60 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर दी गई मानी जाएगी।

बी. वर्तमान मामले में आवेदन का निपटान 15-1-1998 से 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया गया था और उस अवधि की समाप्ति के बहुत बाद ही 2-4-1998 पर एक संचार भेजा गया था। मामले के उस दृष्टिकोण में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि अधिनियम की धारा 25-ओ के प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुमति दी गई है, हमें सही प्रतीत होता है और उच्च न्यायालय द्वारा श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अपने आदेश में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष दावा किया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए इसमें उठाए गए विभिन्न प्रश्नों में जाने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, उच्च न्यायालय द्वारा 15-1-1999 पर आदेश दिए गए थे और उस न्यायालय से या इस न्यायालय से 23-7-1999 तक कोई अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को कायम रखा जाना चाहिए और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

(39) उपरोक्त सभी मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 25-एन (4), धारा 25-ओ (3) और 25-एम (3) पर विचार करते हुए, जो प्रासंगिक डीमिंग प्रावधान हैं, यह अभिनिर्धारित किया है कि मांगी गई अनुमति दी गई मानी जाएगी, यदि निर्णय उल्लिखित अवधि

के भीतर सूचित नहीं किया गया है। इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि "डीमिंग प्रावधान" का अस्तित्व यह निर्णय लेने में एक आवश्यक तत्व था कि छंटनी, बंद करने और छंटनी के लिए लगाए गए प्रतिबंध उचित थे और इसलिए प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य थे।

(40) मानित प्रावधान अयोग्य हैं। कोई अपवाद नहीं है बशर्ते कि जांच शुरू होने पर या किसी अन्य कारण से समय समाप्त हो जाएगा या "गिरफ्तार" किया जाएगा। उपरोक्त में से किसी भी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी अपवाद को मान्यता नहीं दी गई है।

(41) इसे देखते हुए श्री अरोड़ा द्वारा भरोसा किए गए जयहिंद इंजीनियरिंग मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत होना संभव नहीं है।

(42) ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य [13] में एक आवेदन याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा धारा 25-एन (1) के तहत श्रम आयुक्त को 27.02.2001 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 860 श्रमिकों में से 270 श्रमिकों को हटाने की अनुमति मांगी गई थी, जो उन्हें 01.11.2001 पर प्राप्त हुई थी। श्रम आयुक्त ने संबंधित पक्षों को नोटिस में उल्लिखित तिथियों पर उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए 21.11.2001 पर नोटिस जारी किए। ट्रेड यूनियन ने उक्त नोटिसों पर आरोप लगाते हुए एक रिट याचिका दायर की।11.12.2001 को नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि श्रम आयुक्त द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा। श्रम आयुक्त ने विभिन्न तिथियों पर मामले की सुनवाई की। 29.12.2001 को, श्रम आयुक्त ने रिट याचिका में अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करने के आदेश को सुरक्षित रख लिया। रिट याचिका का निपटारा 24.01.2002 को बिना दबाए किया गया था। इसके बाद, श्रम आयुक्त ने कंपनी को 270 कर्मचारियों की छंटनी करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए 30.01.2002 पर आदेशों को सूचित किया। कंपनी ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें दिनांक 1 के आदेश पर इस आधार पर आरोप लगाया गया कि श्रम आयुक्त अपनी प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर छंटनी की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर

आदेश को संप्रेषित करने में विफल रहा है, छंटनी की अनुमति अधिनियम की धारा 25-एन (4) के तहत दी गई मानी जाएगी और अनुमति से इनकार करने वाला विवादित आदेश 60 दिनों की समाप्ति के बाद संप्रेषित किया गया था जो कानून में टिकाऊ नहीं था। श्रम आयुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि आवेदन पर आदेश उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए 29.12.2001 पर सुरक्षित रखा गया था, जिससे श्रम आयुक्त के समक्ष कार्यवाही रिट याचिका के निर्णय के अधीन हो गई थी। न्यायालय ने अभिलेखों का अवलोकन किया और पाया कि वास्तव में श्रम आयुक्त ने आदेश पारित किया था, लेकिन रिट याचिका विचाराधीन होने को देखते हुए इसे सूचित नहीं किया गया था। रिट याचिका खारिज होने के बाद ही अंतिम आदेश 30.01.2002 पर सूचित किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 60 दिनों के बाद सूचित किए गए आदेश का कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि अनुमति दी गई मानी जाएगी। यह निम्नानुसार देखा गयाः-

"6. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि 27 अक्टूबर, 2001 का प्रबंधन का आवेदन, जिसमें 270 श्रमिकों की छंटनी की अनुमति मांगी गई थी, श्रम आयुक्त को 1 नवंबर, 2001 को प्राप्त हुआ था। उप- धारा को देखते हुए। उप धारा (4) धारा 25 एन के अनुसार, श्रम आयुक्त को 60 दिनों की अवधि के भीतर, यानी 30 दिनों के भीतर दिसंबर, 2001 को अपने आदेश को सूचित करना आवश्यक था। ।हालांकि उन्होंने 29 दिसंबर, 2001 को फाइल में एक आदेश पारित किया, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। उन्होंने अंततः 30 जनवरी, 2002 को आदेश को सूचित किया जो 60 दिनों की अवधि से अधिक है।

7. यह उप- धारा (4) धारा 25-एन का निकालने के लिए प्रासंगिक है। जो निम्नानुसार हैः

"(4) जहां उप-धारा के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है। उप- धारा (1) और उपयुक्त सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियोक्ता को अनुमति देने या देने से इनकार करने के आदेश को उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर सूचित नहीं करता है जिस दिन ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन की गई अनुमति को साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर

[13] 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन ओ. आर. 63

दिया गया माना जाएगा।"

(43) उपरोक्त प्रावधान के एक खाली अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी (इस मामले में श्रम आयुक्त) उक्त आवेदन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या देने से इनकार करने के आदेश को सूचित नहीं करता है, तो माना जाएगा कि 60 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर अनुमति दी गई थी। यह एक कानूनी कल्पना का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, इसने नियोक्ता द्वारा आवेदन करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अपने आदेश को संप्रेषित करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी की विफलता पर "अनुमति देने" की एक कल्पना पैदा की है।"

(44) वर्तमान मामले में भी, चूंकि छंटनी के लिए आवेदन के 60 दिनों के भीतर निर्णय सूचित नहीं किया गया था, इसलिए अनुमति दी गई मानी जाती है। इस प्रकार दिनांकित 01.03.2021 के आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है।

(45) यह याचिका खारिज की जाती है।

(46) यह स्पष्ट किया जाता है कि यह न्यायालय छंटनी के आधारों की वैधता में नहीं गया है। यह निर्णय केवल दिनांकित 01.03.2021 आदेश की वैधता की जांच करने तक सीमित है।

(47) मीनाक्षी मिल्स मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामले में जहां अनुमति देने या अस्वीकार करने के आदेश को सूचित करने में उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण की विफलता के कारण धारा 25-एन की उप-खंड (3) के तहत दी गई अनुमति के आधार पर छंटनी की गई है, श्रमिकों द्वारा एक औद्योगिक विवाद उठाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे मामले में, उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित छंटनी के कारणों पर गुण-दोष के आधार पर कोई विचार नहीं किया गया है और निर्णय के लिए विवाद के संदर्भ को बाधित नहीं किया जाएगा।

(48) याचिकाकर्ता के लिए इस तरह का रास्ता अपनाना खुला रहेगा।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Vijay kumar - translator